संख्या- 354 /2025 / 3487 /चार-2025-1775153

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर, 2025**

विषय- भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के रेनोवेशन एवं इंटीरियर कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3452/सं0नि0-6(16)/2023-24 दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 34 /2024 / 7631 /चार-2023-1775153 दिनांक 16.01.2024 द्वारा भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के रेनोवेशन एवं इंटीरियर कार्य हेतु रू0 2210.03 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 552.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा शासनादेश संख्या- 114 /2025 / 970 /चार-2025-1775153 दिनांक 24 मार्च, 2025 द्वारा रू0 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में निर्देश दिये गये हैं कि परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा। उक्त संबंध में विवरण/ सूचना शासन में अप्राप्त है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के रेनोवेशन एवं इंटीरियर कार्य हेतु रू0 2210.03 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक माह में शासन को अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) शासनादेश संख्या- 34 /2024 / 7631 /चार-2023-1775153 दिनांक 16.01.2024 तथा शासनादेश संख्या- 114 /2025 / 970 /चार-2025-1775153 दिनांक 24 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ का होगा।

(6) संस्कृति निदेशालय द्वारा धनराशि कोषागार से आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था- सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 5,00,00,000.00 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048001800 भारतेन्दु नाटय अकादमी के प्रेक्षागृहों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 354 /2025 / 3487 (1) /चार-2025-1775153 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबंधक (नि0-8/नि0-5/ नो), सी0एंडडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-13, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
9. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।